

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 483]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2013—आश्विन 25, शक 1935

विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2013

क्र. 15-स्था.-वि.निर्वा.-2013-714.—आयोग की अधिसूचना क्रमांक 508-एम.पी.-2013 दिनांक 10 अक्टूबर 2013 को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

क्षी. एल. कान्ता राव, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2013—18 आश्विन, 1935 (शक)

अधिसूचना

सं. 508-म.प्र.-2013.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 क क की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा यह निदेश देता है कि राज्य में जिला निर्वाचन अधिकारी को पदनामित करने सम्बन्धी, समय-समय पर यथासंशोधित, इसकी दिनांक 2 जुलाई 2008 की अधिसूचना सं. 508-म.प्र.-2008 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे।

2. उक्त अधिसूचना की संलग्न तालिका में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी।

तालिका

जिले की संख्या एवं नाम (1)	जिला निर्वाचन अधिकारी (2)
51-आगर-मालवा	कलेक्टर, आगर-मालवा

आदेश से,
हस्ता./—
(बर्नार्ड जॉन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated the 10th October 2013—18 Asvina, 1935 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 508-MP-2013.—In pursuance of the provisions contained in sub-section (1) of Section 13AA of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 508-MP-2008, dated 2nd July 2008 as amended from time to time, relating to designating of District Election Officer in the State.

2. In the table appended to the said Notification, the following entry shall be added.

TABLE

No. & Name of the District (1)	District Election Officer (2)
51-Agar-Malwa	Collector, Agar-Malwa

By order,

Sd./-

(BERNARD JOHN)
Secretary,
Election Commission of India.